अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी एण्ड सी

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021

विषय: **उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए नवंबर, 2021 माह का मासिक सारांश - के सम्बन्ध में।**

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में नवंबर, 2021 माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

सुरेंद्र सिंह

(सुरेंद्र सिंह)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष नं0 2338 4390

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक

उपभोक्ता मामले विभाग

नवंबर, 2021 माह के लिए मासिक सारांश

नवंबर, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां/निर्णय:

1. **सफाई अभियान:**

   सफाई अभियान संबंधी विशेष अभियान के रूप में विभाग के सभी अनुभाग और सामान्य क्षेत्र से भीड़-भाड़ कम कर उसकी सफाई की गई। पुराने, अप्रचलित और मरम्मत न किए जा सकने वाली वस्तुओं, पुराने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान नीलामी के द्वारा किया गया। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 13 नवंबर, 2021 को कान्सटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सफाई अभियान के दौरान बहुत अच्छा निष्पादन करने वाले अनुभागों को पुरस्कार दिए गए। विभाग के कर्मचारियों द्वारा "सफाई" और "उपभोक्ता जागरूकता" विषयों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। विभाग की टीम ने भारतीय व्यापार मेला प्रदर्शनी स्थल और दिल्ली हाट, आईएनए में क्रमश: 26 और 29 नवंबर को दो ऐसे नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। इससे स्वामित्व की भावना और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में संलग्नता बढ़ी है।

2. **विधिक माप विज्ञान:**

   2.1 भारत का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में "विधिक माप विज्ञान के संबंध में नई पहलों" पर एक सम्मेलन निट्स नोएडा में 24-25 नवंबर, 2021 तक आयोजित किया गया। इस प्रकार का पिछला सम्मेलन वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था।

   2.2 इस कार्यशाला में 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभाग से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और बाट एवं माप नियंत्रकों सहित 58 सहभागियों ने भाग लिया। सत्रों के विषय - "अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य वसूलने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर दर्ज की गई शिकायतों का समाधान"; "प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन"; "हॉलमार्किंग स्कीम"; और "विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में हाल ही में किए गए परिवर्तन" थे। एसोचैम, फिक्की, एमएआईटी, सीआईआई और आईसीईए जैसे विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी अपने दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य रखे। कार्यशाला के पहले दिन सहभागियों को अलग सेक्टरों के व्यक्तियों को शामिल कर (क्रॉस सेक्टरल) 5 समूहों में बांटा गया था और प्रत्येक समूह को विचार-विमर्श के लिए एक विशिष्ट विषय दिया गया था। कार्यशाला के अंत में प्रत्येक समूह ने एक प्रस्तुति दी और सर्वोत्तम दो समूहों को पुरस्कार दिए गए। एक

दूसरे की शिक्षा को ग्रहण करना (क्रॉस लर्निंग) को सुकर बनाने के लिए एक सत्र में केवल सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने पर चर्चा हुई जिसमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों ने अपने-अपने राज्यों में अंगीकृत प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला।

3. भारतीय मानक ब्यूरो: हॉलमार्किंग स्कीम

देश के 256 जिलों में, जहां कम-से-कम एक एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र (एसीएच) है, वहां 23 जून, 2021 से 14,18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों / कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया गया है। बीआईएस द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, आभूषण विक्रेताओं के लिए शून्य पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण की जीवन पर्यंत वैधता आदि जैसे सुविधाजनक कदम उठाने के कारण अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू किए जाने के समय बीआईएस पंजीकृत आभूषण विक्रेताओं की संख्या चौगुनी हो गई है। आज की तारीख में, हॉलमार्कयुक्त आभूषणों की बिक्री के लिए, 1.27 लाख आभूषण विक्रेताओं ने बीआईएस के साथ पंजीकरण करवाया है और बीआईएस से मान्यताप्राप्त 976 एएचसी कार्यशील हैं। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर शुरू किए जाने के बाद, 5 महीनों की अवधि में देश में लगभग 4.5 करोड़ आभूषणों को हॉलमार्क किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण आभूषण उद्योग के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को हॉलमार्क की विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए हॉलमार्किंग यूनिक आईडी (एचयूआईडी) आधारित प्रणाली शुरू की गई है। पणधारियों के साथ सतत और विस्तृत संवाद के जरिए बीआईएस ने इस चिंता को संबोधित करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर अनिवार्य हॉलमार्किंग का रोल-आउट निर्बाध रहा है और देश के सभी जिलों में इसके विस्तार का कार्य चल रहा है।